झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

ज्ञानदीप परिसर, बरगावाँ, नामकुम, राँची–834010

राज्य के +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में।

विज्ञप्ति संख्या - 117/2011

मानव संसाधन विकास विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) के पत्रांक 1713 दिनांक 5.7.2011 संकल्प संख्या 1470 दिनांक 29.5.2011 एवं पत्रांक 2825 दिनांक 03.11.2011 के आलोक में राज्य के +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जिलावार, कोटिवार एवं विषयवार अधियाचित निम्नांकित पदों के विरूद्ध निम्नांकित योग्यता एवं अर्हत्ताधारक **अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2012 तक आमंत्रित किये जाते हैं-**

क्रम संख्या	विषय	कुल रिक्त पद	सामान्य जाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग
01	हिन्दी	230	115	23	60	18	14
02	अंग्रेजी	230	115	23	60	18	14
03	संस्कृत	230	115	23	60	18	14
04	अर्थशास्त्र	230	115	23	60	18	14
05	भूगोल	230	115	23	60	18	14
06	जीव विज्ञान	230	115	23	60	18	14
07	गणित	230	115	23	60	18	14
08	वाणिज्य	230	115	23	60	18	14

उक्त चिह्नित रिक्तियों में से 50% पद झारखण्ड के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों, जिन्हें नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हत्ता प्राप्त है, से तथा 50% पद पर सीधी नियुक्ति द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अर्हत्ता प्राप्त अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(क)वांछित अर्हत्ता एवं योग्यता :-

(i) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी, "परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यनतम 45% अंको के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी।"

(ii) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी.एड. अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी.एड. के समकक्ष घोषित डिग्री। मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.)के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में संबंधित राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान।

परन्तु वैसे अभ्यर्थी, जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये है तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने की अनुमति तथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल परिषद् द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति प्रशिक्षण परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय–सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् परिषद् द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(iii) **आयु सीमाः-** 01.01.2011 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम कोटिवार उम्र निम्न रूपेण होगी–

		विकलांग हेतु
1. सामान्य कोटि	40 वर्ष	45 वर्ष
2. महिला(अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	43 वर्ष	48 वर्ष
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	42 वर्ष	47 वर्ष
4. अनुसूचित जाति (पुरूष/महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष
5. अनुसूचित जनजाति (पुरूष/महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष

(ख)राज्य के +2 विद्यालयों में उपर्युक्त रिक्त पदों के विरूद्ध अभ्यर्थियों का चयन जाँच परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। जाँच परीक्षा निम्नवत् होगी-

(क) प्रश्न पत्र (1)– सामान्य ज्ञान एवं हिन्दी भाषा की परीक्षा– 100 अंक

(ख)प्रश्न पत्र (2) – जिस विषय में नियुक्ति होनी है, की परीक्षा – 300 अंक

उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र– 1 एवं प्रश्न पत्र–2 की परीक्षाएँ तीन–तीन घंटे की होगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। प्रश्न पत्र (1) अर्हक (Qualifying) प्रश्न पत्र होगा, अर्थात् इसमें मात्र न्यनतम् 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किया जाता है, उनके प्रश्न पत्र (2) की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र (1) में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

प्रश्न पत्र (2) का स्तर भी स्नातक स्तरीय होगा तथा प्रश्न पत्र (2) में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि न्यनूतम 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति का आधार होगा। प्रश्न पत्र (1)एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविल्पीय होगा।

(ग)सम्वर्गः- +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक का सम्वर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा इनकी नियुक्ति पदाधिकारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे।

(घ)वेतनमान- नियुक्ति होनेवाले स्नातकोत्तर प्रशिक्षित को वेतनमान 9300–34800 एवं ग्रेड पे 4800/– रूपये देय होगा।

(ड़)परीक्षा शुल्क- अभ्यर्थियों को 750/– रूपये परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देना होगा, परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये यह राशि 375/– रूपये की होगी। सभी अभ्यर्थी ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम एवं पता अंकित करेंगे।

झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य सम्वर्गीय संवर्ग के लिये लागू राज्य स्तरीय आरक्षणनियमों का पालन किया जायेगा तथा नियुक्ति में तदनुसार आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। आरक्षण का लाभ झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। विकलांगों हेतु अपनी ही कोटि में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।

(च) राज्य के +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 74/2011, 80/2011 एवं 100/2011 को विलोपित किया जाता है, परन्तु-

(i) वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 74/2011 एवं विज्ञप्ति संख्या 100/2011 के आलोक में आवेदन दिए हैं और वे विहित योग्यता एवं अहर्त्ता रखते हैं, उन्हें इस विज्ञप्ति के आलोक में आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी, और वे नियुक्ति हेतु ली जानेवाली प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकते हैं।

(ii) वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व के विज्ञप्ति संख्या 74/2011 एवं विज्ञप्ति संख्या 100/2011 के आलोक में आवेदन नहीं दिए हैं या त्रुटिपूर्ण आवेदन दिए हैं, वे निर्धारित तिथि तक विहित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं, वशर्त्ते कि वे निर्धारित योग्यता एवं अहर्त्ता रखते हों।

(iii) पूर्व के विज्ञप्ति संख्या 74/2011 एवं विज्ञप्ति संख्या 100/2011 के आलोक में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए हैं और उन्हें प्रवेश पत्र निर्गत हो चुका है, उनके लिये नया प्रवेश पत्र निर्गत नहीं होगा और वे उसी प्रवेश पत्र पर परिषद् द्वारा प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा में बैठ सकेंगे।

(छ)सामान्य निर्देशः-

(i) कोई भी अभ्यर्थी किसी एक ही विषय की रिक्ति के विरूद्ध आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी जिस विषय के विरूद्ध आवेदन करेंगे, वही उनका अंतिम विकल्प होगा तथा उससे हटकर कोई दूसरे विषय की रिक्ति के विरूद्ध दावा नहीं कर सकेंगे। भले ही दूसरे विषय में चयनित अभ्यर्थी उनसे कम अंक प्राप्त किए हों।

(ii) आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में A-4 Size पेपर में निम्न पते पर भेजा जायेगा– **संयुक्त सचिव, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, ज्ञानदीप परिसर, बरगावाँ, नामकुम, राँची-834010**

(iii) आवेदन करने के क्रम में अभ्यर्थी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन निर्धारित तिथि तक परिषद् कार्यालय को अवश्य प्राप्त हो जाय। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन प्राप्त होने पर उसे अमान्य कर दिया जायेगा। स्पीड पोस्ट के अलावे अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। सभी अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं Demand Draft की छायाप्रति अपने पास रखेंगे।

(iv) आवेदन के साथ परीक्षा शुल्क के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो **"Jharkhand Academic Council Fund"** को देय एवं राँची में भुगतेय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायगी।

(v) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र आदि स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जायेंगे, **उस लिफाफे के ऊपर लाल स्याही से विज्ञप्ति संख्या के साथ-साथ जिस विषय के शिक्षक के लिए नियुक्ति चाहते हैं, उस विषय का अंकन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन रद्द कर दिये जायेंगे।**

(vi) अपूर्ण, गलत कोड भरने और गलत सूचना देने एवं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र को अमान्य कर दिया जायेगा और शुल्क की राशि जब्त कर ली जायेगी।

(vii) **आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा-**

(1)शैक्षिक प्रमाण पत्र (मैट्रिक का प्रमाण पत्र तथा स्नातकोत्तर की डिग्री एवं अंक पत्रक)

(2)प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र बी.एड. उत्तीर्ण होने अथवा बी.एड.कोर्स पूरा होने संबंधी प्रमाण पत्र

(3)झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत विकलांग प्रमाण पत्र (जहाँ प्रयोज्य हो)

(4)उम्र संबंधी प्रमाण पत्र

(5) झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र (आरक्षण हेतु दावे करनेवाले उम्मीदवारों के लिये)

(viii) अभ्यर्थी जिस विषय की रिक्ति के विरूद्ध आवेदन करेंगे वे आवेदन में उस विषय का कोड भरेंगे–

क्रम सं.	विषय	कोड संख्या
1	हिन्दी	01
2	अंग्रेजी	02
3	संस्कृत	03
4	अर्थशास्त्र	04
5	भूगोल	05
6	जीव विज्ञान	06
7	गणित	07
8	वाणिज्य	08

(ix) आवेदन पत्र में आरक्षण कोटि का कोड भरेंगे। आरक्षण कोटि का कोड निम्नवत् विहित है –

कोटि	कोड
सामान्य	11
अनुसूचित जाति	12
अनुसूचित जनजाति	13
पिछड़ा वर्ग	14
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	15

(x) अभ्यर्थी जिस प्रमण्डल में परीक्षा देना चाहते हैं, उस प्रमण्डल के लिये विहित निम्नांकित परीक्षा केन्द्र का कोड आवेदन पत्र में भरेंगे –

क्रम सं.	परीक्षा केन्द्र	कोड संख्या
1	दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची	21
2	उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग	22
3	कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा	23
4	पलामू प्रमण्डल, पलामू	24
5	संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका	25

नोटः परीक्षा केन्द्र में आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन किया जा सकता है।

(xi) आवेदक विज्ञप्ति को पूरी सावधानी से पढ़कर ही आवेदन पत्र भरेंगे। प्रस्तुत विज्ञप्ति एवं आवेदन पत्र का प्रपत्र (Format) परिषद् के बेवसाइट www.jac.nic.in पर उपलब्ध है। सभी आवेदक परिषद् के उक्त बेवसाइट से आवेदन पत्र का प्रपत्र डाउन लोड कर A4 Size पेपर में उसका प्रिंट प्राप्त कर उसी में ही भरेंगे।

नोटःविज्ञापन तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गयी है। फिर भी झारखण्ड अधिविद्य परिषद् भूल सुधार या टाईपिंग भूल सुधार का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./-

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/+2विद्यालय/शि.नि./10819/11/
SECY/561/11 Dt. 23.12.2011
D.O.P. 24.12.2011